SHSB/PM/98/2006/P-III

दिनांक 02.07.2019 को State Family Planning Indemnity Sub-committee की आहूत बैठक की कार्यवाही।

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2019 को परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत State Family Planning Indemnity Sub-committee(SFPISC) की बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्नवत् सदस्य उपस्थित हुए:

1. मनोज कुमार, भा0प्र0से0, कार्यपालक निदेशक, रा0स्वा0समिति, बिहार– अध्यक्ष
2. डा0 करूणा कुमारी, भा0प्र0से0, अपर कार्यपालक निदेशक, रा0स्वा0समिति, बिहार– उपाध्यक्ष
3. डा0 मो0 सज्जाद अहमद, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, रा0स्वा0समिति, बिहार – सदस्य सचिव
4. डा0 उमा शंकर सिंह, प्रतिनिधि–विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग, पी0एम0सी0एच0, पटना– सदस्य
5. डा0 संगीता सिन्हा, प्रतिनिधि–विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग, पी0एम0सी0एच0, पटना– सदस्य
6. निशांत कुमार, उपनिदेशक, प0क0, रा0स्वा0समिति, बिहार – समन्वयक
7. पदमा बुगनेनी, Team Lead-FP, RMNCH+A यूनिट, बिहार – सदस्य

समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा

1. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2018 को State Family Planning Indemnity Sub-committee की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय (ज्ञापांक 5777 दिनांक 28.11.2018) के आलोक में निम्नांकित जिलों अन्तर्गत Family Planning Indemnity Scheme (FPIS) के तहत् क्षतिपूर्ति दावों हेतु वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त जिलावार दावा के बारे में निर्णय लिया गया।

(A) **मधुबनी** जिला अन्तर्गत :

i. श्रीमती सोमनी देवी, पति– राजकुमार राम, ग्राम–परोरियाही (गजहरा), प्रखंड– लदनियाँ, जिला–मधुबनी का दिनांक 30.12.2015 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुटौना में बंध्याकरण ऑपरेशन सम्पन्न हुआ। तत् पश्चात श्रीमती सोमनी देवी गर्भवती हुई। इसी क्रम में District Indemnity Sub-Committee, मधुबनी की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। तत् के आलोक में SISC द्वारा वांछित दस्तावेज को प्राप्त होने के उपरान्त Date of Pregnancey detection/Delivery/Abortion हेतु उपलब्ध कराये गये साक्ष्य में सोमनी देवी के बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम राम कुमार राम उल्लेखित है जबकि सोमनी देवी के पति का नाम राजकुमार राम पूर्व से उल्लेख है। इस संबंध में SISC की बैठक कार्यवाही ज्ञापांक 5777 दिनांक 28.11.2018 के माध्यम से सही नाम संबंधित शपथ–पत्र उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। तत् के आलोक में दावाकर्त्ता द्वारा एक शपथ–पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पिता का नाम राम कुमार राम को लिपिकीय भूल बताया गया है एवं इससे संबंधित बच्चे के जन्म प्रमाण–पत्र में पिता का नाम सुधार कर (सही नाम– राज कुमार राम) द्वितीय प्रति उपलब्ध कराया गया है। तदालोक में SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme

Padma

2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

(B) **सीवान** जिला अन्तर्गतः

i. श्रीमती सरोज देवी, पति– मुकेश पाण्डेय, ग्राम+पो0–चैनपुर, थाना–हथुआ जिला–सीवान का दिनांक 02.12.2015 को रेफरल अस्पताल, मैरवा में बंध्याकरण ऑपरेशन सम्पन्न हुआ। तत् पश्चात् श्रीमती सरोज देवी का बंध्याकरण असफल होने के कारण District Indemnity Sub-Committee, सीवान की बैठक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 18.09.2018 को आयोजित SISC के बैठक में सभी वांछित दस्तावेज के अवलोकनोपरान्त USG Report की तिथि एवं Claim Form पर दावा करने की तिथि अंकित नहीं होने के कारण एतद् संबंधित दस्तावेज/साक्ष्य को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, सीवान को निदेशित किया गया था। इसी क्रम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, मैरवा द्वारा लिखित रूप से प्रमाणित किया गया है कि उनके देख–रेख में दिनांक 19.06.2017 को लाभार्थी का Ultrasound सम्पादित किया गया है। साथ ही दावाकर्त्ता द्वारा दिनांक 19.06.2017 की तिथि अंकित किया हुआ Claim Form उपलब्ध कराया गया है। तदालोक में SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

(C) **गया** जिला अन्तर्गतः

i. श्रीमती अनीता देवी, पति– श्री निरंजन शर्मा, ग्राम+पो0– चबुरा, थाना– कोंच, जिला–गया का दिनांक 19.11.2016 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोंच में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती अनीता देवी की दिनांक 20.11.2016 को मृत्यु हो गई। District Indemnity Sub-committee, गया की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। उक्त मामले पर दिनांक 18.09.2018 को आयोजित SISC की बैठक के ज्ञापांक 5777 दिनांक 28.11.2018 के माध्यम से लिये गये निर्णय के आलोक में वांछित दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण Family Planning Indemnity Scheme 2016 में निहित प्रावधान के अनुसार Postmortem रिपोर्ट की स्वच्छ एवं पठनीय प्रति, Viscera प्रतिवेदन एवं DQAC द्वारा पूर्ण Death Audit Report (Annexure-6 of FPIS Manual) जिसमें Cause of Death उल्लेखत हो को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, गया को निदेशित किया गया था। तत् के आलोक में वांछित दस्तावेज को उपलब्ध कराया गया है। जिसमें Viscera प्रतिवेदन एवं पूर्ण Death Audit Report (Annexure-6 of FPIS Manual) पुनः अप्राप्त है। अतः SISC द्वारा निर्णय लिया गया कि दावाकर्त्ता द्वारा घटित घटना के पश्चात् 90 दिनों के भीतर कोई लिखित रूप से दिये गये साक्ष्य के साथ–साथ Annexure-6 में पूर्ण Death Audit Report जिसमें Cause of Death उल्लेखित हो को 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

ii. श्रीमती लखिया देवी, पति–अनिल दास, ग्राम– ननौख, पो0– विगु विगहा, प्रखंड–मानपुर का बंध्याकरण दिनांक 06.06.2013 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर में सम्पन्न हुआ। श्रीमती लखिया देवी का बंध्याकरण असफल होने के कारण क्षतिपूर्ति राशि हेतु दावा किया गया है। उक्त मामले पर दिनांक 18.09.2018 को आयोजित SISC की बैठक के ज्ञापांक 5777 दिनांक 28.11.2018 के माध्यम से Family Planning Indemnity Scheme 2016 में निहित प्रावधान के अनुसार घटित

Padma

घटना के 90 दिनों के भीतर दावाकर्त्ता द्वारा दावा सम्पर्ति का साक्ष्य एवं बंध्याकरण प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। इसी क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर द्वारा एतद् संबंधित बंध्यणकरण प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है। साथ ही District Indemnity Sub-committee, गया द्वारा दिनांक 15.05.2017 का Ultrasound रिपोर्ट एवं दिनांक 27.07.2017 को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर द्वारा बंध्याकरण के असफल होने संबंधित पत्र निर्गत किया गया है, जो कि बंध्याकरण असफल होने के 90 दिनों के भीतर FPIS के तहत् दावा को प्रमाणित करता है। तदालोक में SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

iii. श्रीमती पिंकी देवी, पति–अरविन्द यादव, ग्रा0+पो0–बेलौटी, थाना–गुरूआ, जिला–गया द्वारा सूचित किया गया कि उनका बंध्याकरण ऑपरेशन दिनांक 20.12.2014 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरूआ में सम्पन्न हुआ है। बंध्याकरण ऑपरेशन की असफलता के कारण District Indemnity Sub-committee(DISC) द्वारा उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। उक्त मामले पर दिनांक 18.09.2018 को आयोजित SISC की बैठक के ज्ञापांक 5777 दिनांक 28.11.2018 के माध्यम से लिये गये निर्णय के आलोक में SISC द्वारा लाभार्थी का बंध्याकरण प्रमाण–पत्र एवं Birth Certificate confirming failure के साथ–साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, गुरूआ द्वारा लाभार्थी के ऑपरेशन की तिथि एवं DQAC/DISC की जाँच कमिटि द्वारा उल्लेख किये गये ऑपरेशन की तिथि की विभिन्नता को स्पष्ट करने के साथ–साथ लाभार्थी से संबंधित सभी दस्तावेज को उपलबध कराने हेतु निदेशित किया गया था। इस संबंध में लाभार्थी का सम्पन्न किये गये बंध्याकरण हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, गरूआ द्वारा प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है जिसमें लाभार्थी का बंध्याकरण दिनांक 02.01.2015 को सम्पन्न हुआ उल्लेखित है। साथ ही Birth Certificate भी उपलब्ध कराया गया है। तदालोक में Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

(D) **समस्तीपुर** जिला अन्तर्गतः

i. श्रीमती प्रगति कुमारी, पति– श्री रामानन्द राय, पो0+प्रखंड– सरायरंजन, जिला–समस्तीपुर का दिनांक 24.02.2016 को सदर अस्पताल, समस्तीपुर में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती प्रगति कुमारी का दिनांक 26.02.2018 को गर्भवती होने की पुष्टि हुई। District Indemnity Sub-Committee, समस्तीपुर की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। इस संबंध में District Indemnity Sub-Committee, समस्तीपुर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में Consent Form, Medical Record and Check List एवं DQAC के माध्यम से Report on Failure following Steilization Annexure-07 की प्रति नहीं होने के कारण उक्त मामले पर दिनांक 18.09.2018 को आयोजित SISC की बैठक के ज्ञापांक 5777 दिनांक 28.11. 2018 के माध्यम से लिये गये निर्णय के आलोक में वांछित दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 में निहित प्रावधान के अनुसार उक्त वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त मामले में 25.02.2019 को District Indemnity Sub-Committee की बैठक कार्यवाही ज्ञापांक संख्या 1922 दिनांक 05.03.2019 के माध्यम से वांछित दस्तावेजों यथा Consent Form, Medical Record and Check List उपलब्ध कराया गया है। तदालोक में Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

Padma

ii. श्रीमती रीता देवी, पति– गोविन्द कुमार झा, ग्राम– वारी, सिंघिया, जिला–समस्तीपुर का दिनांक 17.11.2016 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघिया में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती रीता देवी का दिनांक 05.01.2018 को गर्भवती होने की पुष्टि हुई। District Indemnity Sub-Committee, समस्तीपुर की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। इस संबंध में District Indemnity Sub-Committee, समस्तीपुर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में DQAC के माध्यम से Report on Failure following Steilization Annexure-07 प्रति एवं Sterilization Certificate नहीं होने के कारण SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 में निहित प्रावधान के अनुसार उक्त वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलबध कराने हेतु निदेशित किया गया था। इसी क्रम में Report on Failure following Steilization Annexure-07 प्रति एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सिंघया द्वारा लाभार्थी का सम्पन्न किये गये बंध्याकरण का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है। तदालोक में SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

(E) **जहानाबाद** जिला अन्तर्गतः

i. श्रीमती मंजू देवी, पति– धमेन्द्र कुमार गुप्ता, ग्रा+पो0– रतनी बाजार, थाना–शकुराबाद जिला–जहानाबाद का दिनांक 03.03.2016 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनी फरीदपुर में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती मंजू देवी का दिनांक 25.11.2017 को गर्भवती होने की पुष्टि हुई। District Indemnity Sub-Committee, जहानाबाद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। इस संबंध में District Indemnity Sub-Committee, जहानाबाद द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में Consent Form, Medical Record and Check List एवं DQAC के माध्यम से Report on Failure following Steilization Annexure-07 प्रति नहीं होने के कारण SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 में निहित प्रावधान के अनुसार उक्त वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलबध कराने हेतु निदेशित किया गया था। उपरोक्त वांछित दस्तावेज जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। तदालोक में Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

2. **मधुबनी** जिला अन्तर्गतः

i. श्री आनंद मोहन झा, पत्नी– प्रीती देवी, ग्रा+पोस्ट– बघॉत, थाना मनीगाछी, जिला– दरभंगा का दिनांक 02.08.2017 को सदर अस्पताल, मधुबनी में पुरूष नसबंदी किया गया था। तत्पश्चात् आनंद मोहन द्वारा दिनांक 05.04.2018 को दावा आवेदन के माध्यम से नसबंदी ऑपरेशन विफल होने की सूचना दिया गया। District Indemnity Sub-Committee, मधुबनी की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। जिसे SISC द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों के जॉंचोंपरान्त Sterilization Certificate वांछनीय है, जिसे 15 दिनों के भीतर Sterilization Certificate उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

ii. श्रीमती आरती देवी, पति– विनोद राम, वार्ड नं0–3, चोकीदार टोला, बासोपट्टी पूर्वी, बासोपट्टी, जिला– मधुबनी का दिनांक 29.01.2018 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बासोपट्टी में बंध्याकरण

Padma Asid

ऑपरेशन किया गया एवं दिनांक 30.01.2018 को मुत्यु हो गई। तत् के आलोक में District Indemnity Sub-Committee, मधुबनी की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, , जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IA में निहित प्रावधान के अनुसार ₹2,00,000/- (दो लाख रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

3. **समस्तीपुर** जिला अन्तर्गतः

   i. श्रीमती सीता देवी, पति– अजय कुमार दास, ग्राम– हजपुरवा करूआ, पो0–कल्याणपुर, जिला–समस्तीपुर का दिनांक 31.03..2016 को सदर अस्पताल, समस्तीपुर में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती सीता देवी का दिनांक 29.09.2018 के USG Report के आधार पर गर्भवती होने की पुष्टि की गई एवं दिनांक 01.11.2018 से संबंधित संस्थान में परिवार कल्याण ऑपरेशन विफल होने तथा क्षतिपूर्ति दावा का आवेदन दिया गया। District Indemnity Sub-Committee, समस्तीपुर की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। तदालोक में SISC द्वारा सभी दस्तावेजों की जाँचोपरान्त Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

4. **कैमुर** जिला अन्तर्गतः

   i. श्रीमती मेनका देवी, पति– श्री पिन्टु बिन्द, ग्राम– सरियावां, थाना– दुर्गावती, जिला–कैमुर का दिनांक 27.09.2018 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुर्गावती में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती मेनका देवी का दिनांक 27.09.2018 को मुत्यु हो गई। District Indemnity Sub-Committee, कैमुर की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IA में निहित प्रावधान के अनुसार ₹2,00,000/- (दो लाख रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

5. **सहरसा** जिला अन्तर्गतः

   (i) श्रीमती पिंकी देवी, पति– रूपेश यादव, ग्रा+पोस्ट– साहुगढ़, भगवानपुर, जिला मधेपुरा का दिनांक 02.02.2015 को सदर अस्पताल, सहरसा में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 26.09.2016 को सदर अस्पताल, मधेपुरा में श्रीमती पिंकी देवी द्वारा एक जीवित बच्चा को जन्म दिया एवं परिवार कल्याण ऑपरेशन विफल होने पर क्षतिपूर्ति दावा का आवेदन दिया गया। District Quality Assurance Sub Committee के जाँचोपरान्त जिला पदाधिकारी, सहरसा के अनुमोदन के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। SISC द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों के जाँचोंपरान्त Conscent Form, Sterilization Certificate एवं Diagnostic Reprot Confirming Failure प्रतिवेदन वांछनीय है, जिसे 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

   ii. श्रीमती मुगिया देवी, पति– प्रमोद सादा, ग्रा+पो0– सुलींदाबाद, वार्ड नं0–5, जिला सहरसा का दिनांक 14.03.2016 को सदर अस्पताल, सहरसा में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 30.12.2017 को श्रीमती मुगिया देवी द्वारा एक बच्ची को जन्म दिया एवं परिवार कल्याण आपरेशन विफल होने पर क्षतिपूर्ति दावा का आवेदन दिया गया। District Quality

Assurance Sub Committee के जाँचोपरान्त जिला पदाधिकारी, सहरसा के अनुमोदन के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। तदालोक में SISC द्वारा सभी दस्तावेजों के जाँचोपरान्त Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

iii. श्रीमती संगीता देवी, पति– सिकेन राम, ग्राम– धमसेनी, पो0– सुलींदाबाद, जिला–सहरसा का दिनांक 18.07.2017 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कहरा, बरियाही, सहरसा में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती संगीता देवी का दिनांक 18.07.2017 को ही मृत्यु हो गई। District Quality Assurance Sub Committee के जाँचोपरान्त जिला पदाधिकारी, सहरसा के अनुमोदन के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। तत् के आलोक में SISC द्वारा वांछित दस्तावेज को प्राप्त होने के उपरान्त दावा आवेदन, आवेदन–सह–सहमति प्रपत्र, Voter ID, में संगीता देवी के पति का नाम सिकेन राम उल्लेखित है जबकि संगीता देवी के मृत्यु प्रमाण–पत्र, आधार, बैंक पासबुल में पति का नाम सिकेन्दर राम उल्लेख है। अतः सिकेन राम एवं सिकेन्दर राम दोनों व्यक्ति एक ही है का Affidavit अथवा Confirmation देने हेतु SISC द्वारा कहा गया ताकि अगले बैठक में निर्णय लिया जा सके।

6. **सीतामढ़ी** जिला अन्तर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति दावे यथा (i) श्रीमती शोभा देवी, पति– लाल पंडित शरीफापुर, नानपुर, जिला–सीतामढ़ी, (ii) श्रीमती रेणु देवी, पति– श्री महेश प्रसाद, ग्राम– सिरसी, नानपुर, जिला–सीतामढ़ी एवं (iii) श्रीमति नूरपशा खातून, पति– मो0 नजामुउद्दीन, ग्राम– मेहसौली, जिला–सीतामढ़ी दावा को DISC अनुशंसित किया गया, परन्तु Family Planning Indemnity Scheme 2016 में Annexure-8 मे निहित प्रावधान के अनुसार उक्त वांछित प्रतिवेदन संलग्न नहीं है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 1420 दिनांक 01.06.2019 के माध्यम से 07.06.2019 तक निश्चित रूप से DISC के माध्यम से नियामानुसार कार्रवाई करते हुए अनुंशसा के साथ सभी दस्तावेजों को SISC को उचित निर्णय हेतु उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था, जो अप्राप्त है। अतः SISC द्वारा उपरोक्त लाभार्थी से संबंधित वांछित दसतावेजों के अनुलब्धता के कारण निर्णय लिया गया कि उक्त सभी मामले में Family Planning Indemnity Scheme 2016 में Annexure-8 मे निहित प्रावधान के अनुसार उक्त वांछित प्रतिवेदन को 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक–सह–फैसिलिटेटर को एक सप्ताह के भीतर वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति स्पष्ट करने हेतु निदेश दिया गया।

7. **पश्चिमी चम्पारण** जिला अन्तर्गतः

i. श्रीमती रम्भा देवी, पति– मणीलाल साह, ग्राम– रमपुरवा, प्रखण्ड– चनपटिया, जिला–प0 चम्पाराण का दिनांक 18.07.2017 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, योगापट्टी में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती रम्भा देवी का दिनांक 19.07.2017 को मुत्यु हो गई। District Indemnity Sub-Committee, पश्चिमी चम्पारण की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IA में निहित प्रावधान के अनुसार ₹2,00,000/- (दो लाख रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

ii. श्रीमति आशा देवी, पति– कन्हैया बिन, ग्राम– रानीपकड़ी, प्रखण्ड– मझौलिया, थाना– मझौलिया, जिला– प0 चम्पारण का दिनांक 22.02.2014 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझौलिया में परिवार

Padma

कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 23.08.2016 को MJK, बेतिया में श्रीमति आशा देवी ने बच्चा को जन्म दिया एवं परिवार कल्याण आपरेशन विफल होने पर क्षतिपूर्ति दावा का आवेदन दिया गया। District Indemnity Sub-Committee, पश्चिमी चम्पारण की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। SISC द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों के जाँचोंपरान्त Claim Form, Sterilization Certificate, Failure Report (Annexure-7) एवं Birth Certificate/USG प्रतिवेदन वांछनीय है, जिसे 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

iii. श्रीमति सीमा देवी, पति– श्री आंनद कुमार चौधरी, ग्राम– बगही रतनपुर, प्रखण्ड– बैरिया, जिला– प0 चम्पारण का दिनांक 17.01.2014 को बैरिया में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती सीमा देवी को जटीलता हो गया एवं समीर मेमोरियल हॉस्पीटल एण्ड लेप्रोस्कोपिक सेन्टर में इलाज कराया गया एवं परिवार कल्याण ऑपरेशन पश्चात् जटीलता होने तथा क्षतिपूर्ति दावा हेतु आवेदन दिया गया। District Indemnity Sub-Committee, पश्चिमी चम्पारण की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। SISC द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों के जाँचोंपरान्त Claim Form, Discharge Certificate, Diagnostic Report एवं Date of Claim प्रतिवेदन वांछनीय है, जिसे 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

iv. श्रीमति मंजू देवी, पति– श्री प्रभा राम, ग्राम–श्यामपुर नयाटोला, प्रखंड+थाना– नौतन, जिला– प0 चमपारण का दिनांक 20.08.2014 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौतन में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमति मंजू देवी ने ऑपरेशन के लगभग 5 महिने पश्चात् ही बच्चे को जन्म दिया एवं क्षतिपूर्ति दावा का आवेदन दिया गया। District Indemnity Sub-Committee, पश्चिमी चम्पारण की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्रीमति मंजू देवी, परिवार नियोजन ऑपरेशन के दिन गर्भवती थी एवं परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत् निहित प्रावधान के अनुसार लाभार्थी द्वारा किये गये दावे मान्य नहीं है। अतः SISC द्वारा उक्त दावे को अस्वीकृत किया गया।

v. श्रीमति उषा देवी, पति– गोविन्द यादव, ग्राम–नरवल बरवल, बगहा, जिला– प0 चम्पारण का दिनांक 31.12.2014 को अनुमंडल अस्पताल, बगहा में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था एवं दिनांक 06.01.2015 को मृत्यु हो गई। District Indemnity Sub-Committee, पश्चिमी चम्पारण की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IA में निहित प्रावधान के अनुसार ₹2,00,000/- (दो लाख रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

vi. श्रीमति उमरावती देवी, पति–श्री प्रभू पासवान, ग्राम– मोतिहारी टाड़, तुमकडिया, प्रखण्ड+थाना– बैरिया, जिला– प0 चम्पारण का दिनांक 19.02.2015 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैरिया में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 17.10.2016 को श्रीमति उमरावती देवी का गर्भवती होने की पुष्टि हुई एवं बंध्याकरण ऑपरेशन असफल होने के कारण क्षतिपूर्ति का दावा किया गया। District Indemnity Sub-Committee, पश्चिमी चम्पारण की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। SISC द्वारा प्रस्तुत सभी

Padma

दस्तावेजों के जाँचोंपरान्त Claim Form, Sterilization Certificate एवं Failure Report (Annexure-7) प्रतिवेदन वांछनीय है, जिसे 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

8. **भागलपुर** जिला अन्तर्गतः

i. श्रीमती कविता देवी, पति– निरंजन चौधरी, भीमदास टोला, तीनटंगा दियारा, जिला–भागलपुर का दिनांक 28.11..2017 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रंगरा में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती कविता देवी का दिनांक 28.08.2018 के USG Report के आधार पर गर्भवती होने की पुष्टि की गई एवं परिवार कल्याण ऑपरेशन विफल होने तथा क्षतिपूर्ति दावा का आवेदन दिया गया। District Indemnity Sub-Committee, भागलपुर की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। तदालोक में SISC द्वारा सभी दस्तावेजों की जाँचोपरान्त Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

ii. श्रीमती पिंकी देवी, पति– बालमुकुन्द राय, ग्राम–अठनिया, उसमानपुर, जिला–भागलपुर का दिनांक 13.01.2017 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरीक में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती पिंकी देवी का दिनांक 11.04.2018 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल, भागलपुर द्वारा Physical Examination के आधार पर गर्भवती होने की पुष्टि की गई एवं परिवार कल्याण ऑपरेशन विफल होने तथा क्षतिपूर्ति दावा का आवेदन दिया गया। District Indemnity Sub-Committee, भागलपुर की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। तदालोक में SISC द्वारा सभी दस्तावेजों के जाँचोपरान्त Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

iii. श्रीमती प्रेमलता देवी, पति– शम्भू साह, ग्राम–भिरखुर्द, पो0– उघाडीह, सुलतानगंज, जिला–भागलपुर का दिनांक 24.07..2018 को रेफरल अस्पताल, सुलतानगंज में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती प्रेमलता देवी को जटीलता हो गया एवं भारती नर्सिंग होम में इलाज कराया गया एवं परिवार कल्याण ऑपरेशन पश्चात् जटीलता होने तथा क्षतिपूर्ति दावा के रूप में मो0–25540/– राशि के भुगतान हेतु आवेदन दिया गया। District Indemnity Sub-Committee, भागलपुर की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। तदालोक में SISC द्वारा सभी दस्तावेजों की जाँचोपरान्त Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section ID में निहित प्रावधान के अनुसार अधिकतम ₹25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

9. **रोहतास** जिला अन्तर्गतः

i. श्रीमति संगीता देवी, पति– अरूण कुमार पटेल, ग्राम+पो०– सियॉवक, थाना– बघैला, जिला–रोहतास का दिनांक 21.07.2014 को सदर अस्पताल, सासाराम में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 10.04.2018 को गर्भवती होने की पुष्टि हुई एवं बंध्याकरण ऑपरेशन असफल होने के कारण क्षतिपूर्ति का दावा किया गया। District Indemnity Sub-Committee, रोहतास की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। तदालोक में SISC द्वारा सभी दस्तावेजों के जाँचोपरान्त Family Planning Indemnity

Padma

Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

ii. श्रीमति पूनम देवी, पति– संतोष कुमार सिंह, ग्राम–बिरोडी, पो0–पवनी, थाना–नासरीगंज, जिला–रोहतास का दिनांक 31.01.2019 को अनुमंडल अस्पताल, डिहरी में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था एवं दिनांक 01.02.2019 को मृत्यु हो गई। District Indemnity Sub-Committee, पश्चिमी चम्पारण की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IA में निहित प्रावधान के अनुसार ₹2,00,000/- (दो लाख रूपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

10. **शेखपुरा** जिला अन्तर्गतः

i. श्रीमति पंचा देवी, धर्मवीर ठाकुर, ग्राम– दरियापुर, थाना–वारिसलिगंज, जिला–नावादा का दिनांक 21.03.2017 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेखोपुरसराय में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 17.01.2018 को गर्भवती होने की पृष्टि हुई एवं बंध्याकरण ऑपरेशन असफल होने के कारण क्षतिपूर्ति का दावा किया गया। District Indemnity Sub-Committee, शेखपुरा की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है। SISC द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों के जाँचोंपरान्त Duly Complete Claim Form (Part-B)-Annex-1, Complete Consent Form, एवं Failure Report (Annexure-7) प्रतिवेदन वांछनीय है, जिसे 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

11. साथ ही SISC द्वारा उपरोक्त सभी मामले के अवलोकोपरान्त निम्न निर्णय लिया गयाः

i. प्रायः ऐसा अवलोकनीय है कि Family Planning Indemnity Scheme के तहत् प्राप्त दावों में वांछित दस्तावेजों के अपूर्ण रहने के कारण SISC द्वारा बार–बार वांछित दस्तावेज उलब्ध कराने हेतु अनुशंसित किया जाता है, जिससे कार्यालय समय की क्षति होती है। विदित हो कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 4968 दिनांक 30.07.2015 के माध्यम से जिला कार्यक्रम प्रबंधक को फैसिलिटेटर घोषित किया गया है एवं उनका दायित्व है कि Family Planning Indemnity Scheme के तहत् प्राप्त दावों को Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Annexure-8 के अनुसार सभी प्रकार के दावे यथा मृत्यु, असफलता एवं जटिलता से संबंधित वांछित सभी दस्तावजों को अपने स्तर से आश्वस्त होने के उपरान्त ही DISC के कार्यवाही की अनुशंसा के साथ सभी वांछित दस्तावजों को ससमय SISC के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराया जाए।

ii. सभी प्रकार के दावे यथा मृत्यु, असफलता एवं जटिलता में उपलब्ध कराये जाने वाले Audit report (मृत्यु के लिए Annexure-6 एवं असफलता/जटिलता के लिए Annexure-7) में घटित घटना का कारण स्पष्ट किया जाना अनिवार्य है। इसके सत्यापन हेतु सिविल सर्जन का दायित्व है।

iii. घटित घटना (Death/Failure/Complication) के 90 दिनों के भीतर संबंधित लाभार्थी/परिजन द्वारा दावा करने पर ही Family Planning Indemnity Scheme के तहत् मान्य है।

iv. Claim Process को दावा प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर DISC के माध्यम से पूर्ण करना तथा प्रक्रिया पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर (In case of Death) एवं 21 दिनों के अंदर (In case of Failure/Complication) Claim Settle किया जाना है।

v. Family Planning Manual Chapter 3 के कंडिका 3.1.1 (पृष्ठ संख्या 18) के अनुसार Death Claim को Settle किया जाना सुनिश्चित हो।

SISC द्वारा अनुमोदित सभी क्षतिपूर्ति दावों हेतु निर्धारित राशि को वित्तीय वर्ष 2019–20 के मद संख्या 1.2.2.3 में राज्य स्तर पर उपबंद्धित राशि से उपावंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Padma

पदमा बुगनेनी,
DD-FP, RMNCH+A यूनिट

(निशांत कुमार)
उपनिदेशक, प0क0, रा0स्वा0समिति, बिहार

(डा0 संगीता सिन्हा)
प्रतिनिधि– विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग, पी0एम0सी0एच0, पटना

(डा0 उमा शंकर सिंह)
प्रतिनिधि–विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग
पी0एम0सी0एच0, पटना

(डा0 मो0 सज्जाद अहमद)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
रा0स्वा0समिति, बिहार

(डा0 करूणा कुमारी, भा0प्र0से0)
अपर कार्यपालक निदेशक,
रा0स्वा0समिति, बिहार

(मनोज कुमार, भा0प्र0से0,)
कार्यपालक निदेशक,
रा0स्वा0समिति, बिहार

ज्ञापांकः 3096 पटना, दिनांकः 30/7/19

प्रतिलिपि–
- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, बिहार सरकार को कृपया सूचनार्थ समर्पित।
- सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर निदेशक (वित्त), राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (Quality Assurance) एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी सिविल सर्जन–सह–उपाध्यक्ष, DISC, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी ACMO–सह–सदस्य सचिव, DISC, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी DPM–सह–फैसिलिटेटर, DISC, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार, भा0प्र0से0,)
कार्यपालक निदेशक,
रा0स्वा0समिति, बिहार

Claim chart under FPIS

S. no.	District	Sub S. no.	Name of Benefeciary	Name of Husband / wife	Address	Date of operation	DISC/ DQAC Proceeding (Yes/No)	Claim Form (YesS/ No)	Consent Form and Medical Check List (Yes/No)	Sterilization Certificate/Post Operative Card/Discharge Certificate/BHT (Yes/No)	Death Certificate in Death Case (Yes/NO)	Diagnostic repot/Birth Certificate confirming failure (Yes/No)	Audit of Death Or Failure Report (Yes/ No)	Type of claim (Death / Complication / Failure)	Date of Death	Date of pregnency detection/ delivery/ Abortion	Date of Claim	Recommended from DISC	Approval/ Denial by SISC	Remarks/Required Document
1	Madhubani	1	Anand Mohan Jha	Priti Devi	Vill.+P.O- Baghat, P.S.- Manigachhi, Dist.- Darbhanga	02.08.17	Yes	Yes	Yes	No	NA	Yes (Semen Test)	Yes	Failure	NA	NA	05.04.18	Yes	Pending	Sterilization Certificate
		2	Arti Devi	Vinod Ram	Ward No. 3, Chaukidar Tola, Basopatti Purbi, Basopatti, Dist- Madhubani	29.01.18	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes	Death	30.01.2018	NA	03.02.18	Yes	Approved	Rs 200000 under section 1 A
		3	Somani Devi	Rajkumar Ram	Vill.-Proriyahi (Gajahara), Block- Ladaniya	30.12.15	Yes	Yes (Hand Written)	Yes	Yes	NA	Yes	Yes	Failure	NA	08.03.17	15.12.16	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
2	Siwan	1	Saroj Devi	Mukesh Pandey	Vill.-Chainpur, P.O.- Chainpur Nata, P.S.- Hathua, Dist.-Gopalganj	02.12.15	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes	NA	Failure	NA	19.06.2017	19.06.17	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
3	Gaya	1	Late Anita Devi	Niranjan Sharma	Vill.+PO- Chabura, PS- Koanch, Dist.-Gaya	19.11.2016	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Postmortem Report)	NA	Yes	Death	20.11.2016	NA	26.06.18	Yes	Pending	1. Viscera Report 2.Ccomplete Death Audit (Annexure - 6)
		2	Lakhiya Devi	Anil Das	Vill.- Nanoukh, P.O.-Vigu Vigha, Block-Manpur, Dist. Gaya	06.06.2013	Yes	Yes (MoIC)	Yes	Yes	NA	Yes	Yes	Failure	NA	15.05.17 (As per USG)	27.07.17 (By MoIC)	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
		3	Pinki Devi	Arvind Yadav	Vill.+PO- Bellauti, PS-Gurua,	02.01.15 (By MoIC)	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes	Yes	Failure	NA	23.11.2016	14.01.17	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C

Padma (डा० पदमा बुगनेनी) Team Lead - FP-, RMNCH+A यूनिट	(निशांत कुमार) उपनिदेशक, प०क०, रा०स्वा०समिति, बिहार	2.7.19 (डा० संगीता सिन्हा) प्रतिनिधि–विभागाध्यक्ष स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग, पी०एम०सी०एच०, पटना	2/7/19 (डा० उमा शंकर सिंह) प्रतिनिधि–विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग पी०एम०सी०एच०, पटना	(डा० मो० सज्जाद अहमद) राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, रा०स्वा०समिति, बिहार	(डा० करूणा कुमारी, मा०प्र०से०) अपर कार्यपालक निदेशक, रा०स्वा०समिति, बिहार	(मनोज कुमार, मा०प्र०से०) कार्यपालक निदेशक, रा०स्वा०समिति, बिहार

S. no.	District	Sub S. no.	Name of Benefeciary	Name of Husband / wife	Address	Date of operation	DISC/ DQAC Proceeding (Yes/No)	Claim Form (YesS/ No)	Consent Form and Medical Check List (Yes/No)	Sterilization Certificate/Post Operative Card/Discharge Certificate/BHT (Yes/No)	Death Certificate in Death Case (Yes/NO)	Diagnostic repot/Birth Certificate confirming failure (Yes/No)	Audit of Death Or Failure Report (Yes/ No)	Type of claim (Death / Complication / Failure)	Date of Death	Date of pregnency detection/ delivery/ Abortion	Date of Claim	Recommended from DISC	Approval/ Denial by SISC	Remarks/Required Document
4	Samastipur	1	Pragati Kumari	Ramanad Rai	Vill- Gohada Rupouli, P.O.+Block- Sarayranjan, Dist- Samastipur	24.02.2016	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes (USG)	Yes	Failure	NA	Yes (USG)	28.02.18	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
		2	Rita Devi	Govind Kr. Jha	Vill.+P.O.- Wari, Ward No.-08 Singhia, Dist.- Samastipur	17.11.2016	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes (USG)	Yes	Failure	NA	Yes (USG)	19.04.18	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
		3	Sita Devi	Ajay Kr. Das	Vill.- Hajapurwa Karua, P.O.-Kalyanpur, Dist.- Samastipur	31.03.2016	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes (USG)	Yes	Failure	NA	Yes (USG)	01.11.18 (Hand Writen)/22.02.19 (Claim Form)	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
5	Jehanabad	1	Manju Devi	Darmendra Kr. Gupta	Vill+P.O.- Ratani Bazar, P.S.-Shakurabad, Dist-Jehanabad	03.03.2016	Yes	Yes (Hand Written)	Yes	Yes	NA	Yes (Certificate of PHC, Ratani Pharidpur)	Yes	Failure	NA	Yes (USG)	29.01.18	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
6	Kaimur	1	Menka Devi	Pintu Bind	Vill- Sariyawan, P.O.+P.S.-Durgawati, Dist- Kaimur	27.09.2018	Yes	Yes	Yes	NA	Yes	NA	No	Death	27.09.18	NA	28.09.18	Yes	Approved	Rs 200000 under section 1 A
7	Saharsa	1	Pinki Devi	Rupesh Yadav	Vill.+P.O.- Sadhugadh, P.S.+Dist.- Madhepura (D/o-Narayan Yadav, Vill- Bhelwa, Block- Sattarkataiya, Dist-Saharsa)	02.02.2015	Yes (DM)	Yes (Hand Written-12-09-2017)	No	No	NA	No	Investigation report of DQAC Sub Committee	Failure	NA	dt. 12-09-2017 (Investigation report of DQAC Sub Committee)	12.09.17	Yes	Pending	1. Consent Form 2. Sterilization Certificate 3.Diagnostic report confirming Failure
		2	Mugiya Devi	Pramod Sada	Ward No. 5, Sulindabad, Dist.- Saharsa	14.03.2016	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	MCP Card (30.12.17)	Investigation report of DQAC Sub Committee	Failure	NA	Investigation report of DQAC Sub Committee	02.01.18	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
		3	Sangita Devi	Siken Ram	Vill-Dhamsaini, Sulindabad, P.S.- Saharsa Sadar, Dist,-Saharsa	18.07.2017	Yes	Yes (Hand Written)	Yes	NA	Yes	NA	Investigation report of DQAC Sub Committee	Death	18.07.17	NA	21.07.17	Yes	Pending	Difference in Claimant (Husband) name

(डा० पदमा बुगनेनी)
Team Lead - FP-,
RMNCH+A यूनिट

(निशांत कुमार)
उपनिदेशक, प०क०,
रा०स्वा०समिति, बिहार

2.7.19
(डा० संगीता सिन्हा)
प्रतिनिधि–विभागाध्यक्ष
स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग,
पी०एम०सी०एच०, पटना

2/7/19
(डा० उमा शंकर सिंह)
प्रतिनिधि–विभागाध्यक्ष,
सर्जरी विभाग
पी०एम०सी०एच०, पटना

(डा० मो० सज्जाद अहमद)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
रा०स्वा०समिति, बिहार

(डा० करूणा कुमारी, भा०प्र०से०,)
अपर कार्यपालक निदेशक,
रा०स्वा०समिति, बिहार

(मनोज कुमार, भा०प्र०से०,)
कार्यपालक निदेशक,
रा०स्वा०समिति, बिहार

S. no.	District	Sub S. no.	Name of Benefeciary	Name of Husband / wife	Address	Date of operation	DISC/ DQAC Proceeding (Yes/No)	Claim Form (YesS/ No)	Consent Form and Medical Check List (Yes/No)	Sterilization Certificate/Post Operative Card/Discharge Certificate/BHT (Yes/No)	Death Certificate in Death Case (Yes/NO)	Diagnostic repot/Birth Certificate confirming failure (Yes/No)	Audit of Death Or Failure Report (Yes/ No)	Type of claim (Death / Complication / Failure)	Date of Death	Date of pregnency detection/ delivery/ Abortion	Date of Claim	Recommended from DISC	Approval/ Denial by SISC	Remarks/Required Document
8	Sitamarhi	1	Shobha Devi	Lal Pandit Shariphapur	Nanapur	16.12.2015	Yes	No	No	No	NA	No	No	Failure	NA	No	No	Yes	Pending	All document as per Annexure-8 of FPIS Manual
		2	Renu Devi	Mahesh Prasad	Vill- Sirsi, Nanapur	26.12.2013	Yes	No	No	No	NA	No	No	Failure	NA	No	No	Yes	Pending	All document as per Annexure-8 of FPIS Manual
		3	Nurapsha Khatoon	Md. Najamuddin	Vill- MehSauli, Dumara, Dist. - Sitamarhi	27.01.2017	Yes	No	No	NA	NO	NA	NO	Death	27.01.17	NA	NO	Yes	Pending	All document as per Annexure-8 of FPIS Manual
9	West Champaran	1	Rambha Devi	Manilal Sah	Vill- Rampurwa, Block-Chanpatiya, Dist- West Champaran	18.07.2017	Yes	Yes	Yes	NA	Yes	NA	Yes	Death	19.07.17	NA	19.07.2017	Yes	Approved	Rs 200000 under section 1 A
		2	Asha Devi	Kanhaiya Bin	Vill- Rani Pakari, P.S.- Majhouliya. Betiah, Dist.- West Champaran	22.02.2014	Yes	Yes (Date not Mentioned)	Yes	No	NA	No	No	Failure	NA	23.08.16	Date not mentioned	Yes	Pending	1. Claim Form in Anex-1. 2. Sterilization Certificate 3. Annex-7 (Failure Report) 4. Birth Certificate/USG
		3	Sima Devi	Anand Kr. Chaudhary	Vill- Bagahi Ratanpur, Block-Bairiya, Dist. - West Champaran	17.01.2014	Yes	No	Yes	NO	NA	No	NA	Comlication	NA	NA	No	Yes	Pending	1. Claim Form in Anex-1 2. Discharge Certificate 3. Diagnostic Report 4. Date of Claim
		4	Manju Devi	Prabha Ram	Vill- shyampur Naya Tola, Block+P.S.- Nautan, Dist.- West Champaran	20.08.2014	Yes	Yes (Hand Written)	Yes	Payment register Copy	NA	Yes (USG)	No	Failure	NA	15.12.14 (12.01.15)	12.01.15	Yes	Rejected	Investigation report (USG) indicates that claimant was pregnant at the time of Operation
		5	Usha Devi	Govind Yadav	Vill- Narwal Barwal, Bagaha, Distl- West Champaran	31.12.2014	Yes	Yes	Yes	NA	Post mortem Report	NA	Yes	Death	06.01.2015	NA	02.09.2015	Yes	Approved	Rs 200000 under section 1 A
		6	Umrawati Devi	Prabhu Paswan	Vill- Motihari Tar, P.O.- Tumkadiya, Block- Bairiya, Dist.- West Champaran	19.02.2015	Yes	Yes (Hand Written)	Yes	No	NA	Yes (USG)	No	Failure	NA	ANC - 17.10.16 USG- 15.12.16	15.12.16	Yes	Pending	1. Claim Form in Anex-1 2. Sterilization Certificate 3. Ammex-7 (Failure report)
10	Bhagalpur	1	Kavita Devi	Niranjan Chaudhary	Bhimdas Tola, P.O.- Tintanga Diyara, P.S.- Rangra, Dist.-Bhagalpur	28.11.2017	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes (USG)	Yes	Failure	NA	USG-28.08.2018	10.07.2018	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
		2	Pinki Devi	Balmukund Rai	Vill-Athaniya, Usmanpur, Dist.-Bhagalpur	13.01.2017	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes (Physical Examination)	Yes	Failure	NA	11.04.2018	18.04.2018	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
		3	Premlata Devi	Shambhu Sah	Vill-Bhirkhurd, P.O.- Ughadih, Sultanganj, Dist- Bhagalpur	24.07.2018	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	NA	NA	Comlication	NA	NA	24.08.2018	Yes	Approved	Rs. 25000 under section 1D

(डा० पदमा बुगनेनी)
Team Lead - FP-, RMNCH+A यूनिट

(निशांत कुमार)
उपनिदेशक, प०क०,
रा०स्वा०समिति, बिहार

2.7.19
(डा० संगीता सिन्हा)
प्रतिनिधि–विभागाध्यक्ष
स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग,
पी०एम०सी०एच०, पटना

2/7/2019
(डा० उमा शंकर सिंह)
प्रतिनिधि–विभागाध्यक्ष,
सर्जरी विभाग
पी०एम०सी०एच०, पटना

(डा० मो० सज्जाद अहमद)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
रा०स्वा०समिति, बिहार

(डा० करुणा कुमारी, भा०प्र०से०,)
अपर कार्यपालक निदेशक,
रा०स्वा०समिति, बिहार

(मनोज कुमार, भा०प्र०से०,)
कार्यपालक निदेशक,
रा०स्वा०समिति, बिहार

S. no.	District	Sub S. no.	Name of Benefeciary	Name of Husband / wife	Address	Date of operation	DISC/ DQAC Proceeding (Yes/No)	Claim Form (YesS/ No)	Consent Form and Medical Check List (Yes/No)	Sterilization Certificate/Post Operative Card/Discharge Certificate/BHT (Yes/No)	Death Certificate in Death Case (Yes/NO)	Diagnostic repot/Birth Certificate confirming failure (Yes/No)	Audit of Death Or Failure Report (Yes/ No)	Type of claim (Death / Complication / Failure)	Date of Death	Date of pregnency detection/ delivery/ Abortion	Date of Claim	Recommended from DISC	Approval/ Denial by SISC	Remarks/Required Document
11	Rohtas	1	Sangeeta Devi	Arun Kr. Patel	Vill+P.O.- Siywak, P.S.- Baghaila, Dist.-Rohtas	21.07.2014	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes (USG)	Yes	Failure	NA	09.04.2018	05.06.2018	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
		2	Punam Devi	Santosh Kr. Singh	Vill- Birodih, P.O.- Pawani, P.S.- Nasariganj, Dist.- Rohtas	31.01.2019	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes	Death	01.02.2019	NA	10.02.2019	Yes	Approved	Rs 200000 under section 1 A
12	Sheikhpura	1	Pancha Devi	Dharmveer Thakur	Vill- Dariyapur, P.S.- Warisliganj, Dist.-Nawada	21.03.2017	Yes	Incomplete	Incomplete	Yes	NA	Yes (USG)	No	Failure	NA	17.01.2018 (USG)	25.01.2018	Yes	Pending	1. Duly complete Claim form (Part-B) in Anex-1 2. Complete Consent form 3. Annexure-7 (Report on Failure)

(डा० पदमा बुगनेनी)
Team Lead - FP-, RMNCH+A यूनिट

(निशांत कुमार) 2.7.19
उपनिदेशक, प०क०,
रा०स्वा०समिति, बिहार

(डा० संगीता सिन्हा) 2.7.19
प्रतिनिधि–विभागाध्यक्ष
स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग,
पी०एम०सी०एच०, पटना

डा० उमा शंकर सिंह 2/7/19
प्रतिनिधि–विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग,
पी०एम०सी०एच०, पटना

(डा० मो० सज्जाद अहमद)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
रा०स्वा०समिति, बिहार

(डा० करूणा कुमारी, भा०प्र०से०,)
अपर कार्यपालक निदेशक,
रा०स्वा०समिति, बिहार

(मनोज कुमार, भा०प्र०से०,)
कार्यपालक निदेशक,
रा०स्वा०समिति, बिहार